UPCD010007552026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।
उपस्थितः अशोक कुमार–XI, एच.जे.एस.
J.O.Code U.P. 6128
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 122 सन् 2026
सचिन यादव पुत्र हरिशंकर यादव बनाम उत्तर–प्रदेश राज्य।

मु.अ.सं. : 33 सन् 2026
धाराः 3/5ए/5बी/8 उ.प्र.गोवध निवारण अधिनियम
व 109,3(5) बी.एन.एस.
थाना : सैयदराजा, जनपद : चन्दौली।

दिनाँक : 11.03.2026,

1. थाना–कोतवाली सैयदराजा के मु.अ.सं. 33/2026, अन्तर्गत धारा 3/5ए/5बी/8 उ.प्र.गोवध निवारण अधिनियम व 109, 3(5) बी.एन.एस., जनपद चन्दौली के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त सचिन यादव पुत्र हरिशंकर यादव की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त सचिन यादव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र एवं शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही प्रस्तुत है, न ही लम्बित है न ही निस्तारित ही है।

2. **प्रकरण से संबधित प्राथमिकी में वर्णित कथन है कि :**

3. दिनाँक 02.02.2026 को उपनिरीक्षक अवधेश नारायन मय हमराही पुलिस बल मय सरकारी वाहन सैयदराजा में देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों के चेकिंग में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास ने आकर बताया कि दो इन्द्रा पिकअप में गोवंश लादे है, जो चन्दौली की तरफ से आ रही है और बिहार वध हेतु ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर हमराही– पुलिस बल को अवगत कराते हुए बिना वक्त गवांये मुखबिर व हमराही पुलिस बल को साथ लेकर कस्बा सैयदराजा से रवाना होकर जेठमलपुर तिराहा पहुंचा और एन.एच.–2 हाईवे के उत्तरी लेन पर बैरियर लगाकर उपस्थित पुलिस बल को हाइवे पर पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने की हिदायत दे कर छोटे दो पहिया माल वाहक वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ की गयी। लगभग 10–15 मिनट बाद दो पिकप वाहन चन्दौली की तरफ से आती दिखायी दी। मुखबिर ने इशारा किया, जिसपर उसके जाने के बाद पुलिस बल द्वारा लाठी व सीटी निकाल कर दोनो पिकप वाहनों को रुकने का इशारा करने लगे तभी सफेद रंग की ब्रेजा बांये से पिकप वाहनों के समानान्तर आकर उसमें बैठे लोग चन्दौली की तरफ से आ रही पिकप में बैठे लोगों को ललकारते हुए इशारा किये कि आगे पुलिस वाले है तेजी से चढ़ाकर भागो, नहीं तो पकड़े जाओगे। इस पर दोनो पिकप और तेजी एवं खतरनाक तरीके से हम पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से वाहन चढ़ाते हुए भागना चाहे कि पुलिस बैरियर से टकराकर अनियंत्रित होकर तीनों वाहन खतरनाक तरीके से टकरा गयी और दोनो पिकप पुलिस बैरियर से टकराकर घसीटते हुए रुक गयी। ब्रेजा वाहन 15–20 कदम दाहिने तरफ डिवाडर के पास जाकर रुक गयी। हम पुलिस वाले प्रशिक्षण के दौरान इस प्रकार की स्थिति से बचाने के लिए ट्रेनिंग के दौरान सिखलाई गयी टैक्टिस एवं फुर्ती के साथ दाहिने–बांये कूद–फांद

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.03.11 16:13:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कर अपनी जान बचाये। यदि पुलिस वाले फुर्ती से कूदकर अपने आपको न बचाते तो भाग रहे पिकप व ब्रेजा वाहन हम लोगो को कुचलते हुए चले जाते। पुलिस वाले अपने आपको सम्भालते हुए तीनों वाहनों को व उसमें बैठे व्यक्तियों को घेर कर पकड़ने के लिए दौड़े तो ब्रेजा वाहन में से एक व्यक्ति व पिकप वाहन का चालक गाड़ी से उतरकर भाग गये परन्तु दूसरे पिकप पर बैठे चालक व उसके बगल में बैठे व्यक्तियों को और ब्रेजा में बैठे चालक को घेर कर हिकमत अमली से वाहन के साथ पकड़ लिया गया। खतरनाक स्थिति में हाइवे पर रुकी दोनो पिकप वाहन को उत्तरी लेन पर हमराही पुलिस बल व राहगीर की मदद से सड़क के दहिने तरफ किनारे खड़ा कराया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पिकप वाहन संख्या– यू.पी. 62डी.टी.–4781 इन्ड्रा पिकप के चालक ने अपना नाम सनी सरोज पुत्र राजपति सरोज, निवासी ग्राम गढ़ा सैनी, थाना– बक्सा, जिला– जौनपुर, उम्र 21 वर्ष बताते हुए स्वयं को वाहन का स्वामी बताया। जामा तलाशी लेने पर इसके पास से एक अदद मोबाइल ओपो कम्पनी रंग आसमानी नीला टच स्क्रीन सिम नं. 77530287607 बरामद हुआ व चालक की बगल सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरिशंकर यादव पुत्र रामनाथ यादव, निवासी ग्राम सादनपुर, थाना– बक्सा, जिला– जौनपुर बताया, जिसकी जामा तलाशी से पैण्ट की दाहिनी जेब से एक अदद की–पैड मोबाइल नोकिया कम्पनी, ब्लैक कलर जिसका सिम नं. 9170390214 व सौ–सौ की चार नोट कुल चार सौ रुपये बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि साहब पहले भी मैं गोकसी के मुकदमें में थाना– कन्दवा, चन्दौली से जेल गया हूँ। तत्पश्चात् दोनो व्यक्तियों को साथ लेकर वाहन के डाला जिसमें पटरा लगा है, को खुलवाकर देखा गया तो दो राशि गोवंश (गाय) जिसकी गर्दन को निर्दयता पूर्वक उनके सिर को नीचे कर बुरी तरह से बांधा गया, जो तड़फड़ा रही हैं व मुश्किल से सांस ले पा रही है जिनकी रस्सी को ढीला कर सहज किया गया। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से पूछताछ कर जानकारी की गयी तथा भागने का कारण पूछने पर दोनो ने बताया कि यह दोनो गाय जौनपुर से लादकर बिहार वध के लिए ले जा रहे थे और पकड़े जाने के डर से हम लोग भागे लेकिन पकड़े गये। दूसरे वाहन का निरीक्षण किया गया तो इन्ड्रा पिकप वाहन इसके आगे नंबर यू.पी. 67बी.टी.–2665 का नम्बर प्लेट लगा है। वाहन चालक के केबिन में कोई मौजूद नहीं, इसका चालक भागने में सफल हो गया। वाहन के डाला को देखा गया तो एक राशि गाय को निर्दयतापूर्वक गर्दन से नीचे की ओर बंधी हुई बरामद हुई। वाहन नंबर को ई–चालान एप पर सर्च कर देखा गया तो इसके पंजीकृत स्वामी का नाम सुभाष पुत्र सोमारु, निवासी चहनियां बेलवानी मथिला, जिला चन्दौली पाया गया। इसके बाद ब्रेजा वाहन संख्या यू.पी. 62बी.पी.–7667 के चालक का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम सन्तोष यादव पुत्र जीयाराम यादव, निवासी ग्राम सादनपुर, थाना– बक्शा, जिला जौनपुर बताया। जामा तलाशी से इसके कब्जे से कोई शय बरामद नहीं हुआ। ब्रेजा वाहन में से भागे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो बताया कि मेरे साथ ब्रेजा वाहन में मेरे ही गाँव के सचिन यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव बैठा था, जो पकड़े जाने के डर से गाड़ी से निकलकर भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब हम लोग छोटे वाहनों में एक–एक, दो–दो गायों को लादकर वध के लिए बिहार ले जाते है ताकि पुलिस को शक न हो और वह पकड़ न सके लेकिन आप लोग पकड़ लिये। पूछताछ में ब्रेजा के चालक ने बताया कि साहब मैं वाहन, जिसमें गाय लदी होती है, उनको पुलिस से बचाकर पास करा हूँ। ब्रेजा वाहन नंबर– यू.पी. 62बी.पी.–7667 को ई–चालान एप पर सर्च किया गया तो इसके पंजीकृत स्वामी अनिल कुमार

यादव पुत्र भुलई यादव, ग्राम विशेसरपुर, शम्भूगंज, जौनपुर पाया गया। मौके पर पकड़े गये तीनों व्यक्तियों ने गलती होने की बात कहकर मांफी मांग रहे है। पकड़े गये व्यक्तियों से वाहन में लदे गाय को गैर प्रान्त वध हेतु ले जाने के सम्बन्ध में अधिकार–पत्र तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहे। इस प्रकार तीनों व्यक्तियों द्वारा अवैध रुप से गोवंश को निर्दयतापूर्वक उनकी गर्दन को बांधकर वध हेतु दो पिकप वाहन उपरोक्त में लादकर गैर प्रान्त परिवहन कर ले जाने तथा चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा वाहन को रोकने का प्रयास किये जाने पर ब्रेजा वाहन में बैठे व्यक्तियों के ललकारने पर पिकप वाहन चालकों द्वारा वाहन को तेज गति से चलाकर जान से मारने की नियत से पुलिस बल को कुचल कर भागने का प्रयास किया गया तथा अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित एवं एक राय होकर तीनों उपरोक्त वाहनों को तेज खतरनाक तरीके से पुलिस बैरियर में टक्कर मारने का यह कृत्य अन्तर्गत धारा– 3/5ए/5बी/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम व धारा– 109/3(5) बी.एन.एस. का दण्डनीय अपराध पाते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया गया तथा गोवंशों व वाहनों को कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामदगी के दौरान जनता के काफी लोग इक्कठा है और आपस में बातें कर एक दूसरे से कह रहे है कि इन गायों को निर्दयता के साथ लाद कर काटने के लिए बिहार ले जा रहे थे लेकिन पकड़े जाने के डर से चालक वाहन व इसके लदे गायों को छोड़कर भाग गये। जनता के लोगों से गवाही के कहा गया तो भलाई–बुराई व कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़ने की बात कह कर बिना नाम पता बताये गवाही देने से इन्कार कर हट–बढ़ गये। फर्द लिखकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे है। फर्द की एक प्रति पठनीय अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त हरिशंकर यादव को दी जा रही है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रुप से कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हैरान व परेशान करने के नियत से गलत व असत्य निराधार तत्वों के आधार पर एक सुनियोजित षड़यन्त्र के तहत उपरोक्त अपराध में मुल्जिम बना दिया गया है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। दिनाँक 01.02.2026 को पुलिस द्वारा सूचना दी गयी कि उसके पिता थाना सैयदराजा में बन्द है और तीस हजार रुपये की मांग की गयी। प्रार्थी ने पैसे देने से इन्कार किया तो प्रार्थी को मार–पीटकर भगा दिया तथा फर्जी मुकदमा में अभियुक्त बना दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त न तो वाहन स्वामी है और न ही चालक या खलासी है। प्रार्थी के पास से कोई हथियार या उपकरण बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी पशु तस्कर नहीं है और न ही पशुओं से कोई वास्ता सरोकार है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। बिना न्यायालय की अनुमति के प्रार्थी/अभियुक्त भारत के बाहर नहीं जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के बाद जमानत पलायन होने की कोई संभावना नही है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलका प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ब्रेजा कार संख्या–यू.पी. 62बी.पी.–7667 का सहचालक है। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना–सैयदराजा की पुलिस द्वारा ब्रेजा कार संख्या–यू.पी. 62बी.पी.–7667 एवं गोवंशों से लदे दो अन्य पिकप वाहनों को मौके से पकड़ा गया था। प्रार्थी/अभियुक्त एवं उक्त ब्रेजा कार के चालक के ललकारने पर पिकप वाहन के चालकों द्वारा पुलिस वालों को जान से

मारने की नियत से पिकप को तेज गति से चलाकर कुचलने का प्रयास किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थना पर पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनाँकित 02.02.2026 समय करीब 18:45 बजे के बाबत वादी मुकदमा उपनिरीक्षक द्वारा तैयार की गयी फर्द बरामदगी के आधार पर वाहन संख्या- यू.पी.67बी.टी.-2665 एवं दो अन्य वाहनों के स्वामी एवं चालकों तथा परिचालकों के विरुद्ध दिनाँक 02.02.2026 समय 23:35 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ब्रेजा कार संख्या-यू.पी. 62बी.पी.-7667 का सहचालक है तथा उसके विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रार्थी/अभियुक्त पर ब्रेजा वाहन संख्या-62बी.पी.-7667 के चालक के साथ अन्य दो वाहनों में गोवंशों को लदवाकर वध हेतु बिहार ले जाये जाने के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान गोवंशों से लदे उक्त पिकप वाहनों को रोके जाने का प्रयास किये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ब्रेजा कार संख्या-यू.पी. 62बी.पी.-7667 के चालक के साथ मिलकर ललकारने पर पिकप वाहन संख्या-यू.पी.67बी.टी.-2665 एवं एक अन्य वाहन संख्या-यू.पी. 62डी.टी.-4781 के चालकों द्वारा अपने-अपने वाहनों को तेज गति से चलाकर पुलिस वालों को कुचलकर जान से मारने का प्रयास किये जाने का अभियोग है। मौके से पकड़े गये पिकप वाहनों में उक्त गोवंशों को रस्सी के सहारे निर्दयतापूर्वक बांधा गया था, जिनके मुँह से झाग निकल रहा था व बुरी तरह हांफ रहे थे। प्रार्थी/अभियुक्त को वाहन संख्या- 62बी.पी.-7667 का परिचालक होना तथा पुलिस द्वारा पकड़े जाने के प्रयास किये जाने के दौरान मौके से भाग जाने में सफल हो जाना कहा गया है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों से उक्त अपराध को कारित करने में प्रार्थी/अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या संलिप्तता प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश गोवंश नि0 अधिनियम संशोधित अधिनियम 2020 जो कि दिनांक 11.06.2020 से प्रभावी है कि धारा 7ए(1)(बी) को दृष्टिगत रखना होगा।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार अग्रिम जमानत पर्याप्त नहीं है। अस्तु प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सचिन यादव पुत्र हरिशंकर यादव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

दिनाँक : 11.03.2026

(अशोक कुमार-XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।